माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 478 / 11(2) / एके0 / बी0एड0(प्रवेश) / MSU / 2023–24 दिनांक : 19.06.2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध बी.एड. महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषयः बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–25 हेतु सूचना उपलब्ध कराया जाना।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– 2910 / 11(2) / एके0 / बी0एड0(प्रवेश) / MSU / 2023–24, दिनांक : 31.03.2023 के माध्यम से पूर्व में बी. एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–25 हेतु सूचना उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है। अतः जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2023–25 हेतु सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है वह दिनांक : 25.06.2023 तक किसी भी दशा में निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें–

1. पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में कार्यरत् विभागाध्यक्ष / शिक्षकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर के विनियमन 2014 के अनुरूप सूचना एवं उनका नोटरी शपथ पत्र जिसका प्रारूप संलग्न है, उपलब्ध कराया जाय।
2. एन.सी.टी.ई., शासन एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त मान्यता के संबंध में निर्गत पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर के विनियमन 2014 के अनुरूप प्रबन्धक द्वारा रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो–
   क. सत्र 2021–23 हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर से मान्यता प्राप्त है **(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर के विनियमन 2014 के आलोक में जारी सम्बद्धता का पत्र संलग्न करें)।**
   ख. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जयपुर के मानकानुसार समस्त मानक पूर्ण हैं एवं जिन शिक्षकों की सूचना उपलब्ध करायी जा रही है, वह वर्तमान सत्र 2021–23 हेतु उपलब्ध रहेंगे।
   ग. कार्यरत् शिक्षकों को वेतन बैंक खाते में हस्तांतरित (Bank transfer) किया जा रहा है। (एक वित्तीय वर्ष की प्रमाणित प्रति के प्रमाण के साथ संलग्न करें)
   घ. शिक्षकों के वेतन से पी.एफ. की कटौती की जा रही है, का प्रमाण (पासबुक की फोटोप्रति प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित संलग्न करें)।

04. ABACUS-UP पोर्टल पर प्रबंधक, प्राचार्य, भूमि, भवन, शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी एवं छात्रों का पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

05. प्रोफाईल में उल्लिखित बैंक खाता विवरण का क्रास चैक संलग्न करना अनिवार्य है।

06. अल्पसंख्यक महाविद्यालय के अन्तर्गत प्रवेश लिये जाने की दशा में अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

इसके अतिरिक्त पत्र के साथ संलग्न कालेज एवं शिक्षक प्रोफाईल प्रोफार्मा (प्रारूप 01 एवं 02) पर भी कालेज का विवरण (हार्डकापी एवं सी.डी. (केवल **MS Excel file format** में) कुलसचिव कार्यालय को विलम्बतम् दिनांक 25.06.2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सत्र 2023–25 हेतु छात्रों का आवंटन किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय

संलग्नक–यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव